(भारत सरकार का उपक्रम)

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन नंबर. - L65910DL1986GOI024862
"ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, भारत
टेलीफोन : +91 11 23456000; फैक्स : + 91 11 23412545, ईमेल आईडी : investorsgrievance@pfcindia.com Website: www.pfcindia.com

<u>सदस्यों की असाधारण आम बैठक के लिए नोटिस</u>

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित विशेष कार्य पर चर्चा के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की असाधारण आम बैठक मंगलवार, 19 मार्च 2010 को पूर्वाह्न 10:30 बजे डॉ. एसकेवीएस ऑडिटोरियम (डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम), केन्द्रीय विद्यालय नंबर 2, एपीएस कालोनी के पास, गुड़गांव रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली- 110010 में होगी :

1. संबद्ध पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन

साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए, तो संशोधन (संशोधनों) के साथ या बगैर पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि यह देखते हुए कि लेनदेन को ग्रहण विनियम के विनियम 10 (1) (क) (iii) के तहत खुला प्रस्ताव करने की आवश्यकता से छूट होगी, कंपनी अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों / नियमों, यदि कोई हो, तथा अन्य लागू अधिनियमनों / विनियमों के तहत प्रावधानों / नियमों के भी अनुसरण में इसके द्वारा कंपनी को भारत के राष्ट्रपति, जो विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, के साथ प्रबंध नियंत्रण सहित आरईसी लिमिटेड में भारत सरकार के 1,03,93,99,343 पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य जो निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ कंपनी द्वारा नियुक्त मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, जो ग्रहण विनियम के विनियम 10(1) (क) के तहत 25 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक नहीं होगा, सेबी (पर्याप्त अधिग्रहण एवं ग्रहण) विनियम, 2011 (ग्रहण विनियम) के विनियम 8 और 10 (1) (क) के अनुसरण में अधिग्रहण करने के लिए संबद्ध पक्षकार लेनदेन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से गठित कोई समिति या निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित कोई प्राधिकरण सहित) इसके द्वारा उक्त संबद्ध पक्षकार लेनदेन को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे सभी कार्य, क्रिया एवं कृत्य जिसे वे अपने परम विवेक के अनुसार आवश्यक समझें, करने के लिए अधिकृत है और होगा जिसमें कीमत, मात्रा, प्रतिफल, प्रीमियम, अग्रिम या अन्यथा आदि सहित भुगतान की शर्तों का निर्धारण करने वाले शेयर खरीद करार, अन्य करारों, घोषणाओं तथा दस्तावेजों पर बातचीत करना, अंतिम रूप देना एवं हस्ताक्षर करना शामिल है परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :
"ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन, कनॉट
प्लेस,
नई दिल्ली - 110001
सीआईएन :
L65910DL1986GOI024862
दिनांक : 20 फरवरी, 2019

टिप्पणियां :

1. असाधारण आम बैठक (बैठक / ईजीएम) में शामिल होने और वोट करने के लिए हकदार सदस्य अपने स्थान पर शामिल होने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने का हकदार है तथा यह आवश्यक नहीं है कि प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो। तथापि, प्रॉक्सी की नियुक्ति करने वाला विधिवत रूप से पूरा किया गया, मुहर लगा हुआ और हस्ताक्षरित लिखत कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक आरंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए। खाली प्रॉक्सी फार्म संलग्न है तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त भी किया जा सकता है। इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

2. कोई व्यक्ति अधिकतम 50 सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में काम कर सकता है तथा सकल रूप में शेयर धारण मताधिकार वाली कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। कंपनी के मताधिकार वाली कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयरों का धारक सदस्य एकल व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य सदस्य के रूप में प्रॉक्सी के लिए काम नहीं करेगा।

3. कॉर्पोरेट सदस्यों से बैठक में अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प / पावर ऑफ अटार्नी की विधिवत रूप से प्रमाणित प्रति भेजने का अनुरोध किया जाता है।

4. बैठक में या उसमें लाए जाने वाले किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए हकदार प्रत्येक सदस्य बैठक आरंभ होने के लिए निर्धारित समय शुरू होने तथा बैठक के निष्कर्ष के साथ समाप्त होने से 24 घंटे पहले की अवधि के दौरान कंपनी के व्यवसाय के घंटों के दौरान किसी भी समय दर्ज किए गए प्रॉक्सी का निरीक्षण करने का हकदार होगा परंतु यह कि इस तरह का निरीक्षण करने की मंशा के बारे में कंपनी को लिखित रूप में कम से कम तीन दिन का नोटिस दिया गया हो।

5. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता की बाध्यताएं एवं प्रकटन की आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी इस बैठक में चर्चा की जाने वाली मद के संबंध में कंपनी के सभी हितधारकों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।

कंपनी ने ईजीएम के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग को सुगम बनाने के लिए कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्वी) (तत्कालीन कॉर्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड) की सेवाएं ली है। इलेक्ट्रानिक नोटिस के माध्यम से अग्रेषित हाजिरी पर्ची / ईमेल के अधोभाग में प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड का उल्लेख किया गया है। दूरस्थ ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा अनुदेश यहां नीचे दिए गए हैं : सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपना वोट डालने से पूर्व इन अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें।

इसके अलावा बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम / बैलट या पोलिंग पेपर के माध्यम से भी मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट पहले नहीं डाला है, बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग करने में समर्थ होंगे।

कंपनी ने बैठक में निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया तथा इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम / बैलट या पोलिंग पेपर वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए संयुक्त संवीक्षक के रूप में काम करने के लिए श्री सचिन अग्रवाल, एफसीएस 5774, अभ्यासी कंपनी सचिव तथा श्रीमती करिश्मा सिंह, एसीएस : 26054, अभ्यासी कंपनी सचिव को नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग की कार्यविधि एवं अनुदेश

I. इंटरनेट ब्राउजर लांच करें और https://evoting.karvy.com खोलें।

II. उपस्थिति पत्र / ईमेल के अधोभाग में शुरुआती पासवर्ड निम्नानुसार प्रदान किया जाता है।

ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नंबर)	**प्रयोक्ता आईडी**	**पासवर्ड**
4468	**डीमेट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए :** इवेंट नंबर और उसके बाद : एनएसडीएल के लिए : 8 करेक्टर का डीपी आईडी जिसके बाद 8 डिजिट का क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट का लाभार्थी आईडी **वास्तविक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए :** इवेंट नंबर और उसके बाद कंपनी के यहां पंजीकृत फोलियो नंबर	आपका अनोखा पासवर्ड भेजी गई हाजिरी पर्ची / इलेक्ट्रानिक नोटिस के माध्यम से अग्रेषित ईमेल पर मुद्रित है।

(क) यदि कोई सदस्य कॉर्वी फिंटेक प्राइवेट लिमिटेड से ईमेल प्राप्त करता है [ऐसे सदस्यों के लिए जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपाजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के यहां पंजीकृत है] :

i. लागिन क्रेडेंशियल (अर्थात प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड) प्रविष्ट करें। वास्तविक फोलियो के मामले में, प्रयोक्ता आईडी ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नंबर) और उसके बाद फोलियो नंबर होगी। डीमेट खाता के मामले में प्रयोक्ता आईडी आपकी डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी होगी। तथापि, यदि आप ई-वोटिंग के लिए कॉर्वी के यहां पहले से पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

ii. इन ब्यौरों को उपयुक्त ढंग से प्रविष्ट करने के बाद, "लागिन" पर क्लिक करें।

iii. अब आप पासवर्ड परिवर्तन मेन्यू में पहुंचेंगे जिसमें आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलने की आवश्यकता होगी। नया पासवर्ड न्यूनतम 8 करेक्टर का होगा जिसमें से कम से कम एक करेक्टर बड़ा अक्षर (A-Z), एक छोटा अक्षर (a-z), एक संख्या (0-9) तथा एक विशेष करेक्टर @,#,$, etc.,) शामिल होंगे। पहली बार लागिन पर सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने तथा अपने संपर्क ब्यौरा जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि को अपडेट करने के लिए प्रेरित करेगा। अपना पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में उसे पुन: प्राप्त करने के लिए आप अपनी पसंद का कोई गुप्त प्रश्न एवं उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें तथा अपने पासवर्ड को गुप्त रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें।

iv. आपको नए क्रिडेंशियल के साथ पुन: लागिन करने की आवश्यकता होती है।

v. सफल लागिन पर सिस्टम आपको 'पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड' के ई-वोटिंग इवेंट को चुनने के लिए प्रेरित करेगा।

vi. वोटिंग पेज पर, "पक्ष / विपक्ष" के तहत कट ऑफ तिथि अर्थात 13 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार शेयरों की संख्या प्रविष्ट करें (जो वोट की संख्या दर्शाती है) या वैकल्पिक तौर पर आप "पक्ष" आंशिक रूप से और "विपक्ष" में आंशिक रूप से कोई संख्या डाल सकते हैं परंतु "पक्ष / विपक्ष" में प्रविष्ट संख्याओं का जोड़ यहां ऊपर उल्लिखित आपकी कुल शेयर होल्डिंग से अधिक नहीं होगा। आप मतदान में भाग न लेने का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि सदस्य "पक्ष" अथवा "विपक्ष" का उल्लेख नहीं करा जाएगा तो यह समझा जाएगा कि उन्होंने मतदान में भाग न लेने का विकल्प चुना है तथा धारित किए गए शेयर किसी भी शीर्ष में नहीं गिने जाएंगे।

vii. अनेक फोलियो / डीमेट खाता के धारक सदस्य प्रत्येक फोलियो / डीमेट खाता के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे।

viii. इसके बाद आप किसी उपयुक्त विकल्प का चयन करके अपना वोट डाल सकते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें।

ix. एक कनफर्मेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि करने के लिए "ओके" पर क्लिक करें अन्यथा संशोधित करने के लिए "कैंसल" पर क्लिक करें। संकल्प पर वोट डालने के बाद आप अपना वोट बदल नहीं सकेंगे। वोटिंग अवधि के दौरान सदस्य संकल्प पर मतदान करने तक कितनी भी बार लागिन कर सकते हैं।

x. कॉर्पोरेट / संस्थागत सदस्य (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) के लिए भी ईमेल आईडी : sachinag1981@gmail.com पर संवीक्षक (संवीक्षकों) को विधिवत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर (हस्ताक्षरों) के साथ बोर्ड संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई सत्यापित सही प्रति (पीडीएफ फार्मेट) भेजना आवश्यक है। उपयुक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई इमेज का नाम “कॉर्पोरेट का नाम_इवेंट नंबर” के फार्मेट में होना चाहिए।

(ख) ईजीएम का नोटिस और हाजिरी पर्ची की भौतिक प्रति प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में [ऐसे सदस्यों के लिए जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपाजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के यहां पंजीकृत नहीं या जो भौतिक प्रति के लिए अनुरोध कर रहे हैं] :

i. लागिन क्रिडेंशियल प्रविष्ट करें (कृपया ईजीएम की हाजिरी पर्ची में उल्लिखित प्रयोक्ता आईडी और शुरुआती पासवर्ड देखें)।

III. कृपया इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट डालने के लिए ऊपर क्रमांक (i) से (x) में उल्लिखित सभी चरणों का पालन करें।यदि कोई शंका हो तो आप कार्वी की वेबसाइटhttps://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध 'सहायता एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' और 'ई-वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल' देख सकते हैं या कार्वी फिंटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी प्लाट 31-32, गचीबाउली, वित्तीय जिला, नानकरागुडा, हैदराबाद- 500 032 के श्री बी निवास (यूनिट : पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से संपर्क कर सकते हैं अथवा einward.ris@karvy.com पर ईमेल कर सकते हैं या फोन नंबर 040 6716 2222 पर फोन कर सकते हैं या किसी और स्पष्टीकरण के लिए कार्वी के टोल फ्री नंबर 1-800-3454-001 पर संपर्क कर सकते हैं।

IV. यदि आप ई-वोटिंग के लिए कॉर्वी के यहां पहले से पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

V. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली 2015 प्रावधान करती है कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग की अवधि ईजीएम की तिथि से पूर्व तिथि को सायं 5:00 बजे बंद हो जाएगी। तद्नुसार वोटिंग की अवधि 16 मार्च 2019 को प्रात: 10:00 बजे शुरू होगी और 18 मार्च 2019 को सायं 5:00 बजे बंद होगी। उसी दिन सायं 5:00 बजे कार्वी द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल डिसेबल किया जाएगा। इस अवधि के दौरान कट ऑफ तिथि अर्थात 13 मार्च 2019 को वास्तविक रूप में या डीमेट रूप में कंपनी के शेयर धारण करने वाले सदस्य इलेक्ट्रानिक रूप में अपना वोट डाल सकते हैं।

VI. जब सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट डाल दिया जाता है तो उसे इसके बाद उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

VII. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं परंतु उनको अपना वोट पुन: डालने का अधिकार नहीं होगा।

VIII. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोड नहीं डाला है वे स्थल पर अपना वोट डाल सकते हैं।

IX. सदस्य वोटिंग के केवल एक माध्यम को चुन सकते हैं अर्थात वे रिमोट ई-वोटिंग या ईजीएम में वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। यदि कोई सदस्य दोनों माध्यमों से वोट डालता है तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाला गया वोट मान्य होगा तथा ईजीएम में डाले गए वोट को अमान्य समझा जाएगा।

X. जिन सदस्यों ने ईजीएम का नोटिस प्रेषित होने के बाद किंतु कट ऑफ तिथि अर्थात 13 मार्च 2019 को या इससे पहले शेयर प्राप्त किया है वे निम्नानुसार इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं :

क. यदि सदस्य का ईमेल या मोबाइल नंबर फोलियो नंबर / डीपी आई क्लाइंट आईडी के विरुद्ध पंजीकृत है :

सदस्य **9212993399** पर एसएमएस भेज सकता है : MYEPWD <space> इवेंट नंबर+फोलियो नंबर या डीपी आईडी क्लाइंट आईडी

एनएसडीएल के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE>
IN12345612345678 सीडीएसएल के लिए उदाहरण : MYEPWD
<SPACE>1402345612345678
भौतिक के लिए उदाहरण : MYEPWD <SPACE> XXX1234567890

अथवा

सदस्य https://evoting.karvy.com के होम पेज पर जा सकते हैं और “फारगॉट पासवर्ड” पर क्लिक करें तथा पासवर्ड सृजित करने के लिए फोलियो नंबर या डीपी आईडी क्लाइंट आईडी और पैन प्रविष्ट करें।

ख. सदस्य टोल फ्री नंबर 1-800-3454-001 पर कार्वी को कॉल कर सकते हैं

ग. सदस्य einward.ris@karvy.com को ईमेल अनुरोध भेज सकते हैं। तथापि, कार्वी ऐसे नए सदस्यों को प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड भेजने का प्रयास करेगा जिनकी मेल आईडी उपलब्ध है।

XI कंपनी की असाधारण आम बैठक में या इसके बाद संकल्पों पर परिणामों की घोषणा की जाएगी तथा बैठक की तिथि को संकल्पों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में मतदान की प्राप्ति के अधीन संकल्पों को पारित किया गया समझा जाएगा।

XII संवीक्षक की रिपोर्ट (रिपोर्टों) के साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.pfcindia.com) तथा कार्वी की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com) पर उपलब्ध होंगे तथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी संप्रेषित किए जाएंगे।

XIII आप फोलियो के प्रयोक्ता प्रोफाइल ब्यौरे में अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल अपडेट भी कर सकते हैं जिसका प्रयोग भावी संचार भेजने के लिए किया जा सकता है।

6. जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि के अनुसार डिपाजिटरी द्वारा अनुरक्षित सदस्य रजिस्टर या लाभार्थी स्वामी रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग और बैलट पेपर के माध्यम से ईजीएम में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा। मतदान के अधिकार कट ऑफ तिथि को सदस्य (सदस्यों) द्वारा धारित इक्विटी शेयर की संख्या के अनुसार होंगे। सदस्य वोट डालने के लिए पात्र तभी होंगे जब वे उस तिथि को शेयरों के धारक होंगे। कृपया नोट करें कि जो सदस्य कट ऑफ तिथि को कंपनी का सदस्य नहीं है उसे इस नोटिस को केवल सूचना के प्रयोजनार्थ नोटिस के रूप में समझना चाहिए।

7. बैठक में संपन्न किए जाने वाले विशेष कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 (1) के प्रावधानों के अनुसरण में विवरण इसके साथ संलग्न किया गया है।

8. सदस्यों से निम्नलिखित के लिए अनुरोध किया जाता है :

i. बैठक स्थल के प्रवेश द्वार पर विधिवत रूप से भरी हुई और हस्ताक्षरित हाजिरी पर्ची प्रदान करें क्योंकि ऑडिटोरियम में प्रवेश केवल हाजिरी पर्ची के बदले में स्थल पर काउंटर पर उपलब्ध प्रवेश पर्ची के आधार पर होगा।
ii. सभी पत्राचार में अपने फोलियो / क्लायंट आईडी एवं डीपी आईडी नंबर लिखें।
iii. कृपया नोट करें कि सुरक्षा कारणों से ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ऑडिटोरियम के अंदर लाने की अनुमति नहीं है।
iv. नोट करें कि असाधारण आम बैठक में किसी उपहार / कूपन का वितरण नहीं होगा।
v. नोट करें कि बैठक में शामिल होने वाले संयुक्त धारकों के मामले में केवल ऐसे संयुक्त धारक को मतदान करने का अधिकार होगा जो नामों के क्रम में ऊपर होगा।

9. भारत सरकार द्वारा घोषित "हरित पहल" के समर्थन में, हाजिरी पर्ची एवं प्रॉक्सी फार्म के अलावा अन्य बातों के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं ढंग को दर्शाने वाले इस नोटिस की इलेक्ट्रानिक प्रतियां ईमेल से ऐसे सदस्यों को भेजी जा रही हैं जिनका ईमेल पता कंपनी / डिपाजिटरी प्रतिभागियों को उपलब्ध कराया गया है, यदि सदस्य ने विशेष रूप से इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध नहीं किया है। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है उनको अनुमत माध्यम से हाजिरी पर्ची एवं प्रॉक्सी फार्म के अलावा अन्य बातों के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं ढंग को दर्शाने वाले इस नोटिस की भौतिक प्रतियां भेजी जाएंगी। **इसके अलावा सरकार की इस हरित पहल का पूरी तरह समर्थन करने के लिए, जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता अभी तक पंजीकृत नहीं कराया है उनसे अपने संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपाजिटरी के यहां इलेक्ट्रानिक होल्डिंग्स के संबंध में अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कराने का अनुरोध किया जाता है। जो सदस्य भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं उनसे कार्वी अर्थात कंपनी के आरटीए के यहां अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कराने का अनुरोध किया जाता है।**

10. व्याख्यात्मक विवरण के साथ नोटिस में उल्लिखित सभी संगत दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में असाधारण आम बैठक से पूर्व शनिवार एवं रविवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों को 11:00 बजे से 13:00 बजे के बीच निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

11. डॉ. एसआरकेवीएस ऑडिटोरियम का रूट मैप इसके साथ संलग्न है।

नोटिस का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 1

संबद्ध पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन

पीएफसी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नवरत्न सीपीएसई है और इस प्रकार भारत सरकार तथा पीएफसी कंपनी अधिनियम की धारा 2 (76) के अनुसरण में संबद्ध पक्षकार हैं।

कंपनी अधिनियम की धारा 188 यह कहती है कि निदेशक मंडल की बैठक में संकल्प द्वारा प्रदान की गई निदेशक मंडल की सहमति को छोड़कर कोई भी कंपनी संबद्ध पक्षकार के साथ कोई संविदा या व्यवस्था नहीं करेगी।

धारा 188 (1) का पहला परंतुक निबंधित करता है कि ऐसी कंपनी के मामले में जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ऐसी राशि से कम नहीं है, या लेनदेन ऐसी राशि से अधिक नहीं है, जो निर्धारित हो सकता है, संकल्प द्वारा कंपनी के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर कोई संविदा या व्यवस्था नहीं की जाएगी। दूसरा परंतुक यह भी कहता है कि किसी संविदा या व्यवस्था जो कंपनी द्वारा की जा सकती है, को अनुमोदित करने के लिए कंपनी का कोई भी सदस्य ऐसे संकल्प पर मतदान नहीं करेगा यदि ऐसा सदस्य संबद्ध पक्षकार है।

कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं इसकी शक्तियां) नियमावली 2014 का नियम 15 (3) ऐसे लेनदेन की सीमा निर्धारित करता है जिसके बाद संबद्ध पक्षकार लेनदेन के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। "किसी माल या सामग्री की बिक्री, क्रय या आपूर्ति" की श्रेणी के संबंध में टर्नओवर के 10 प्रतिशत या अधिक या 100 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, के रूप में सीमा निर्धारित की गई है। उक्त न्यूनतम सीमा वित्त वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से या एकसाथ मिलाकर किए जाने वाले लेनदेन या लेनदेनों पर लागू है। आरईसी में भारत सरकार के 1,03,93,99,343 इक्विटी शेयरों की बिक्री एवं क्रय के लिए भारत सरकार और पीएफसी के बीच लेनदेन नियमावली के नियम 15 (3) के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक होगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के माध्यम से किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ किसी सरकारी कंपनी द्वारा की गई संविदाओं या व्यवस्थाओं के संबंध में सरकारी कंपनी पर धारा 188 (1) के पहले और दूसरे परंतुक की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की है। तथापि, सरकार और सरकारी कंपनी के बीच लेनदेन के लिए ऐसी कोई छूट नहीं है। तद्नुसार साधारण संकल्प के रूप में शेयरधारकों (सरकार को छोड़कर) द्वारा लेनदेन को अनुमोदित कराने की आवश्यकता है।

तद्नुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और अन्य लागू अधिनियमनों / विनियमों के तहत प्रावधानों / नियमों के तहत भी हितधारकों का अनुमोदन मांगा जाता है :

1. यह देखते हुए कि लेनदेन को ग्रहण विनियम के विनियम 10 (1) (क) (iii) के तहत खुला प्रस्ताव करने की आवश्यकता से छूट होगी, भारत के राष्ट्रपति, जो विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, के साथ प्रबंध नियंत्रण सहित आरईसी लिमिटेड में भारत सरकार के 1,03,93,99,343 पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य जो निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ कंपनी द्वारा नियुक्त मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, जो ग्रहण विनियम के विनियम 10(1) (क) के तहत 25 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक नहीं होगा, सेबी (पर्याप्त अधिग्रहण एवं ग्रहण) विनियम, 2011 (ग्रहण विनियम) के विनियम 8 और 10 (1) (क) के अनुसरण में निर्धारित कीमत पर अधिग्रहण करने के लिए संबद्ध पक्षकार लेनदेन करना।

2. कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से गठित कोई समिति या निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित कोई प्राधिकरण सहित) को उक्त संबद्ध पक्षकार लेनदेन को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे सभी कार्य, क्रिया एवं कृत्य जिसे वे अपने परम विवेक के अनुसार आवश्यक समझें, करने के लिए अधिकृत करना जिसमें कीमत, मात्रा, प्रतिफल, प्रीमियम, अग्रिम या अन्यथा आदि सहित भुगतान की शर्तों का निर्धारण करने वाले शेयर खरीद करार, अन्य करारों, घोषणाओं तथा दस्तावेजों पर बातचीत करना, अंतिम रूप देना एवं हस्ताक्षर करना शामिल है परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।

इसके अलावा कंपनी (बोर्ड की बैठकें तथा इसकी शक्तियां) नियमावली 2014 के नियम 15 (3) के अनुसरण में प्रस्तावित संबद्ध पक्षकार लेनदेन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(क) संबंधित पक्षकार का नाम : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से काम करते हुए भारत के राष्ट्रपति

(ख) निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम जो संबद्ध है, यदि कोई हो :
भारत के राष्ट्रपति ने डॉ. अरुण कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को कंपनी के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नामित किया है।

(ग) संबंध की प्रकृति : भारत के राष्ट्रपति कंपनी के प्रमोटर हैं तथा कंपनी की 61.48 प्रतिशत शेयर पूंजी का प्रतिनिधित्व करने वाले कंपनी के 1,62,32,31,514 शेयरों के धारक हैं।

(घ) संविदा या प्रबंध की प्रकृति, महत्वपूर्ण शर्तें, मौद्रिक मूल्य और विवरण :

कंपनी, आरईसी लिमिटेड के पूर्णतः संदत्त भारत सरकार के 1,03,93,99,343 इक्विटी शेयरों को प्रबंधन नियंत्रण सहित ऐसे मूल्य, जिसमें प्रीमियम भी शामिल हो जिसे निदेशक मंडल विभिन्न कारकों तथा अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी द्वारा नियुक्त मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जाए, पर प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के संबद्ध पक्षकार से समझौता करे। यह प्रीमियम, सेबी (पर्याप्त अधिग्रहण और ग्रहण) विनियम, 2011 (टेक ओवर रेग्युलेशन) के विनियम 10(1)क के अंतर्गत प्रावधान की गई 25% की सीमा से अधिक नहीं होगा। इसमें इस तथ्य को ध्यान में रखा जाएगा कि संव्यवहार को टेकओवर रेग्युलेशन के विनियम 10(1)(क)(iii) के अंतर्गत खुली पेशकश करने की आवश्यकता से छूट प्राप्त होगी। दिनांक 18.02.2019 तक की स्थिति के अनुसार टेकओवर रेग्युलेशन की विनियम 10(1)क के अनुसार निर्धारित प्रति इक्विटी शेयर 113.96 रु. मूल्य जिसमें 25% का अधिकतम प्रीमियम भी शामिल होगा, के आधार पर केवल दृष्टांतों के माध्यम से अधिग्रहण मूल्य 142.46 रु. प्रति इक्विटी शेयर मूल्य पर 14806.24 करोड़ रु. से अधिक नहीं होगा। कंपनी, आरईसी लिमिटेड की ऐसी शेयरहोल्डिंग को भारत सरकार से प्राप्त करेगी जिसमें कोई लिएन नहीं होगा तथा तद्नुरूपी मतदान अधिकार और अन्य लाभ संबद्ध होंगे। यह अधिग्रहण कंपनी और भारत सरकार दोनों के पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा। कंपनी, भारत सरकार के साथ शेयर खरीद करार करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये वाणिज्यिक शर्तें होगी।

(क) प्रस्तावित संकल्प पर निर्णय लेने के लिए सदस्यों के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य सूचना :

सरकार ने बेहतर सहयोग, मितव्ययिता, उच्चतर निवेश निर्णय लेने की सामर्थ्य प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा अपने शेयर धारकों को अधिक मूल्य प्रदान करने के लिए विलय एवं अधिग्रहण के माध्यम से सीपीएसयू के समेकन पर अपना विजन कई बार व्यक्त कर चुकी है। इस अभिव्यक्त विजन को ध्यान में रखते हुए संघ सरकार ने हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा आरईसी लिमिटेड में सरकार के शेयरों के ग्रहण के माध्यम से विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में पहली बार ऐसे उपाय पर निर्णय लिया है।

ऐसे निर्णय से दोनों संस्थाओं में ऋण देने की प्रक्रियाओं एवं नीतियों में दक्षता में वृद्धि होगी तथा विद्युत क्षेत्र को बेहतर ऋण उत्पादों का प्रस्ताव करके पर्याप्त सार्वजनिक मूल्य का सृजन होगा। दोनों संस्थाओं के बीच सामान्य प्रबंधन सूत्र से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, विविध क्षेत्रों में तथा उत्पादन, पारेषण, नवीकरणीय एवं वितरण के उप क्षेत्रों के बीच विशिष्ट संस्थानिक विशेषज्ञता के बेहतर प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। संयुक्त ग्रुप संस्था के रूप में संस्थाओं के बीच अभिसरण से आरईसी के विकेन्द्रीकृत आउटरीच तथा पीएफसी की व्यावसायिक परियोजना वित्त विशेषज्ञता से लाभों को प्राप्त करने में विद्युत क्षेत्र को मदद मिलेगी। इसके अलावा ग्रुप की परिसंपत्तियों तथा पोर्टफोलियो जोखिम की विविधता सुनिश्चित करने से बेहतर एवं समन्वित ढंग से विद्युत क्षेत्र की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान का प्रबंधन करने में इन संस्थाओं को मदद मिलेगी।

यह अभिसरण विविध ऋण उत्पादों का उपयोग करने में विद्युत क्षेत्र की मदद करेगा। घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में निधियां जुटाने के लिए पीएफसी और आरईसी के बीच सहयोग से बाजारों में टाइमिंग एवं मूल्य निर्धारण से संबद्ध अंतर्निहित अदक्षताएं कम होंगी। इससे दोनों संस्थाओं द्वारा ऋण देने के लिए उपलब्ध निधियों को बाहर कर देने का जोखिम कम होगा जिससे अपने समकक्षों की तुलना में ये संस्थाएं अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगी।

आरईसी को ग्रहण करने के संबंध में पीएफसी का निर्णय प्रशासनिक एवं वित्तीय दोनों तरह के संभावित ऋणभार को आंतरिक करता है, जिसका उद्देश्य यह है कि उक्त एकीकरण के बाद दोनों संस्थाएं पर्याप्त रूप से पूंजीकृत बनी हैं और एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार ऋण के क्षेत्र में प्रचालन में समर्थ हैं।

सेबी ने अपने दिनांक 27 दिसंबर 2018 के पत्र के माध्यम से इस लेनदेन को सूचीबद्धता विनियम के विनियम 23 (2), 23 (3) और 23 (4) के अंतर्गत अनुपालन से विशिष्ट छूट प्रदान की है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 12 फरवरी 2019 के पत्र के माध्यम से आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) की शेयर होल्डिंग में प्रस्तावित परिवर्तन अर्थात आरबीआई के मास्टर निदेश - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - व्यवस्थित ढंग से महत्वपूर्ण गैर जमा ग्रहण कंपनी तथा जमा ग्रहण कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016, यथासंशोधित की शर्तों के अनुसार आरईसी लिमिटेड में भारत सरकार की 52.63 प्रतिशत शेयर होल्डिंग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अंतरित करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है।

भारतीय प्रतियोगिता आयोग ने अपने पत्र दिनांक 31 जनवरी 2019 के माध्यम से सूचित किया है कि 31 जनवरी 2009 को आयोजित अपनी बैठक में आयोग ने आरईसी लिमिटेड में भारत सरकार की 52.63 प्रतिशत शेयर होल्डिंग का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अंतरित करने के प्रस्तावित लेनदेन के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है जो प्रतियोगिता आयोग 2002 के अनुसार संयोजन की परिभाषा में आता है।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी में अपनी व्यक्तिगत शेयर होल्डिंग की मात्रा को छोड़कर तथा कंपनी के निदेशक मंडल में भारत सरकार के नामिती को छोड़कर एक भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार की इस संकल्प में रुचि नहीं है।

व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित सभी संगत दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में असाधारण आम बैठक की घोषणा की तारीख तक सभी कार्य दिवसों को 11:00 बजे से 13:00 बजे के बीच निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली,
दिनांक : 20 फरवरी,
2019

(भारत सरकार का उपक्रम)

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन : L65910DL1986GOI024862

पंजीकृत कार्यालय : ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 टेलीफोन : +91 11 23456000, फैक्स : +91 11 23412545, ईमेल आईडी :investorsgrievance@pfcindia.com

वेबसाइट : www.pfcindia.com

उपस्थिति पत्र

कृपया बैठक हाल में प्रवेश के लिए यह पत्र अपने साथ लाएं और इसे प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

मैं / हम एतदद्वारा मंगलवार, 19 मार्च 2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे डॉ. एसआरकेवीएस आडिटोरियम (डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम), केन्द्रीय विद्यालय नंबर 2, एपीएस कालोनी के पास, गुड़गांव रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली- 110010 में आयोजित की जा रही कंपनी की असाधारण आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं / कराते हैं।

क्रम संख्या : _

एकल / प्रथम नामित सदस्य का नाम एवं पंजीकृत पता :

संयुक्त सदस्य (सदस्यों) का नाम यदि कोई हो:

पंजीकृत फोलियो नंबर / डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी नंबर :

धारित शेयरों की संख्या :

प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम :

सदस्य / प्रॉक्सी / अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

....

धारक का नाम	**फोलियो / डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी नंबर**	**शेयरों की संख्या**

सदस्यों के ध्यानार्थ

सदस्य कृपया नोट करें कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के अनुसरण में ई-वोटिंग के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रानिक वोटिंग के विवरण नीचे दिए गए हैं। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत अनुदेश असाधारण आम बैठक के नोटिस में प्रदान किए गए हैं।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग के विवरण

ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नंबर)	**प्रयोक्ता आईडी**	**पासवर्ड / पिन**

टिप्पणी : कृपया नोटिस में उल्लिखित ई-वोटिंग के अनुदेशों का पालन करें।

(भारत सरकार का उपक्रम)

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन : L65910DL1986GOI024862

पंजीकृत कार्यालय : ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 टेलीफोन : +91 11 23456000, फैक्स : +91 11 23412545, ईमेल आईडी :investorsgrievance@pfcindia.com वेबसाइट : www.pfcindia.com

प्रॉक्सी फार्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सदस्य (सदस्यों) का नाम :

पंजीकृत पता :

मैं / हम, जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्य हैं तथा कंपनी के .... शेयरों के धारक हैं, इसके द्वारा

1. नाम : ईमेल आईडी :

   पता : हस्ताक्षर : या उसके न आने पर

2. नाम : ईमेल आईडी :

   पता : हस्ताक्षर : या उसके न आने पर

3. नाम : ईमेल आईडी :

   पता : हस्ताक्षर :

मंगलवार, 19 मार्च 2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे डॉ. एसआरकेवीएस आडिटोरियम (डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम), केन्द्रीय विद्यालय नंबर 2, एपीएस कालोनी के पास, गुड़गांव रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली- 110010 में आयोजित की जा रही कंपनी की असाधारण आम बैठक में तथा ऐसे संकल्प के संबंध में इसके किसी स्थगन पर मेरे / हमारे लिए तथा मेरी / हमारी ओर से भाग लेने और मतदान करने (मतदान होने पर) के लिए मेरे / हमारे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूं / करते हैं, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	संकल्प	पक्ष	विपक्ष
विशेष कार्य			
1.	संबद्ध पक्षकार लेनदेन को अनुमोदित करना "संकल्प किया जाता है कि यह देखते हुए कि लेनदेन को ग्रहण विनियम के विनियम 10 (1) (क) (iii) के अंतर्गत खुला प्रस्ताव करने की आवश्यकता से छूट होगी, कंपनी अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों / नियमों, यदि कोई हो, तथा अन्य लागू अधिनियमनों / विनियमों के तहत प्रावधानों / नियमों के भी अनुसरण में इसके द्वारा कंपनी को भारत के राष्ट्रपति, जो विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, के साथ प्रबंध नियंत्रण सहित आरईसी लिमिटेड में भारत सरकार के 1,03,93,99,343 पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य जो निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ कंपनी द्वारा नियुक्त मूल्यांकक से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, जो ग्रहण विनियम के विनियम 10(1) (क) के तहत 25 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक नहीं होगा, सेबी (पर्याप्त अधिग्रहण एवं ग्रहण) विनियम, 2011 (ग्रहण विनियम) के विनियम 8 और 10 (1) (क) के अनुसरण में अधिग्रहण करने के लिए संबद्ध पक्षकार लेनदेन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है। "यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से गठित कोई समिति या निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित कोई प्राधिकरण सहित) इसके द्वारा उक्त संबद्ध पक्षकार लेनदेन को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे सभी कार्य, क्रिया एवं कृत्य जिसे वे अपने विवेक के अनुसार आवश्यक समझें, करने के लिए अधिकृत है और जिसमें कीमत, मात्रा, प्रतिफल, प्रीमियम, अग्रिम या अन्यथा आदि सहित भुगतान की शर्तों का निर्धारण करने वाले शेयर		

	खरीद करार, अन्य करारों, घोषणाओं तथा दस्तावेजों पर बातचीत करना, अंतिम रूप देना एवं हस्ताक्षर करना शामिल है परंतु इतने तक ही सीमित नहीं है।"		

आज दिनांक .... 2019 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर .... प्रॉक्सी धारक (धारकों) के हस्ताक्षर .... (उपयुक्त मूल्य का रसीदी टिकट लगाएं)

टिप्पणियां :

1. **प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी का यह फार्म विधिवत रूप से भरा होना चाहिए, मुहर लगी होनी चाहिए और असाधारण आम बैठक आरंभ होने से कम से कम 48 घंटा पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।**
2. **आम बैठकों पर सचिवीय मानक 2 के खंड 6.4.1 के अनुसरण में प्रॉक्सी धारक बैठक में शामिल होने के समय अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।**

<u>मार्ग का नक्शा</u>

<u>डॉ. एसआरकेवीएस आडिटोरियम (डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम), केन्द्रीय विद्यालय नंबर 2, एपीएस कालोनी के पास, गुड़गांव रोड, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली- 110010 का रूट मैप</u>

<u>केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, एपीएस कॉलोनी के पास, गुड़गांव रोड दिल्ली कैंट, नई दिल्ली -110010</u>